UPJS010032132026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनु.जाति और अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम,झांसी।

उपस्थित- आदित्य चतुर्वेदी (एच.जे.एस)

J.O.Code No- UP 6311

जमानत प्रार्थनापत्र सं- 1034/ 2026

बादल पुत्र शम्भू निवासी मोहन चक्की के पीछे हंसारी थाना प्रेमनगर जिला झांसी।

----अभियुक्त

बनाम

राज्य **----अभियोजक**

मु. अ. सं. 226/ 2024
धारा- 323,504,506,34 भा. द. सं
थाना- प्रेमनगर जिला झांसी।

दिनांक-**11.06.2026**

1. अभियुक्त बादल उपरोक्त मु. अ. सं. - 226/ 2024 अन्तर्गत धारा 323, 504,506,34 भा. द. सं थाना प्रेमनगर जिला झांसी के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 30. 5. 24 को समय करीब 11 बजे रात को हम लोग अपने दरवाजे थे तभी हमारे दरवाजे के सामने से आकाश,सनी लौहार,लौकी लोहार,बादल व राहुल अहिरवार निकल रहे थे तो हमारे पिता प्रकाश ने टोका तो इसी बात पर कहासुनी करके गाली गलौज करके हमारे पिता प्रकाश व हमारे भाई दीपक व सोनम के साथ गाली गलौज करके मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए।

3. अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र इस निवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है,उसने कोई अपराध नही किया है।प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त ने कोई मारपीट नही की,न ही गाली गलौज की,न ही जान से मारने की धमकी दी न ही जातिसूचक शब्दो का प्रयोग किया।अभियुक्त ने किसी को कोई चोट नही पहुंचायी।अतः अभियुक्त को दौरान विचारण जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया तथा कथन किया है कि अभियुक्त ने घटना कारित की है। उसके विरूद्ध आरोपपत्र पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने की याचना की गयी है।वादी पर नोटिस की तामीला है।

5. **अभियुक्त के जमानत आवेदन पर सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।**

6. आरोपपत्र मामले मे आ गया है। जिसमें 12 गवाह बनाये गये है। जिनके परीक्षण मे न्यायालय को समुचित समय लगेगा।आरोपपत्र आ जाने से विवेचना को भी अभियुक्त द्वारा प्रभावित किए जाने की कोई सम्भावना नही है।मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज हुयी है।इस विलम्ब का कोई यथोचित स्पष्टीकरण तहरीर मे वर्णित नही है। मजरूबो की

Digitally signed by ADITYA CHATURVEDI
Date: 2026.06.11 12:47:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सभी चोटे साधारण प्रकृति की है। अभियुक्त के विरूद्ध दौरान विवेचना विवेचक ने धारा 41A द. प्र. सं का नोटिस जारी किया था यानि कि वह दौरान विवेचना विवेचक द्वारा गिरफतार नही हुआ और उसने विवेचना में सहयोग किया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास पुलिस ने प्रस्तुत नही किया है। अभियुक्त ने अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नही किया है। सहअभियुक्त की जमानत इसी न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है ।अभियुक्त द्वारा कारित अपराध सात वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी. बी. आई व अन्य (2022) 10 एस. सी. आर 351** को दृष्टिगत रखते हुए बिना मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किए हुए अभियुक्त का केस जमानत का सृजित होता है। तदनुसार अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त बादल का अपराध संख्या 226/ 2024 अन्तर्गत धारा 323, 504, 506,34 भा. द. सं थाना प्रेमनगर जिला झांसी के मामले में जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त को पूर्व में दाखिल जमानत व बंधपत्र पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक- 11. 6. 26

(आदित्य चतुर्वेदी)
विशेष न्यायाधीश, एस. सी. एस. टी एक्ट,
झांसी।